वी. के. बाली और एस. सी. माल्टे न्यायमूर्तिगण, के समक्ष

जगजीत सिंह सांगवान और अन्य -याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य -उत्तरदाता।

सी. डब्ल्यू. पी. *16098* सन *1997*

17 जुलाई, 1998

भारत का संविधान, *1950*-कला।*14 & 19*—हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, *1984 (1995* का संशोधन अधिनियम संख्या *6)*-धारा *28*-संशोधन

अधिनियम की अवधि *3* से बढ़ाकर *5* वर्ष कर दी गई-संशोधन अधिनियम की प्रयोज्यता-क्या अधिनियम संविधान के अनुच्छेद *14* और *19* का उल्लंघन करता है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि संशोधन अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन केवल ऐसी स्थिति में करेगा जब यह किसी नागरिक के मौजूदा अधिकार को छीन ले।यह बहुत अच्छी तरह से तय किया गया है कि विधायिका संभावित रूप से और पूर्वव्यापी रूप से भी संशोधन कर सकती है।आम तौर पर, संशोधन संभावित प्रकृति का होता है।हालाँकि, यह पूर्वव्यापी हो सकता है यदि संशोधन अधिनियम में निहित भाषा विशेष रूप से ऐसा कहती है या अन्यथा आवश्यक इरादे से इसका अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करते समय, मौजूदा निहित अधिकार को छीन नहीं लिया जा सकता है।वर्तमान मामले में किसी के भी मौजूदा अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया था और न ही यह ऐसा मामला था जिसमें मृत व्यक्ति में जीवन डाला गया था।संशोधन अधिनियम उन सभी समितियों पर लागू होगा जो 2 फरवरी, 1995 को या उसके बाद समाप्त नहीं हुई थीं, लेकिन यह उन समितियों पर लागू नहीं होगा जिनका तीन साल का कार्यकाल 1 फरवरी, 1995 को या उससे पहले समाप्त हो गया था।

(पैरा 11 &14)

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल, एम. एल. सग्गर के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता

मदन देव के साथ हरियाणा के महाधिवक्ता एच. एस. हुड्डा। अधिवक्ता, प्रतिवादीगण के लिए।

निर्णय

वी. के. बाली न्यायमूर्ति,

(1) चूंकि इन सभी याचिकाओं में कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न शामिल हैं, इसलिए हम एक सामान्य आदेश द्वारा इसका निर्णय लेने का प्रस्ताव करते हैं।पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील भी हमें इसी तरह का सुझाव देते हैं।हालाँकि, तथ्य या इन सभी मामलों का निर्णय 1997 के सी. डब्ल्यू. पी. 16098 से लिया गया है।

(2) हेफेड, चरखी दादरी, जिला भिवानी के निदेशक जगजीत सिंह सांगवान ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर वर्तमान याचिका के माध्यम से हरियाणा राज्य में विभिन्न स्थानों पर तैनात हेफेड के छह अन्य निदेशकों के साथ 15 अक्टूबर, 1997 के आदेश को रद्द करने के लिए प्रमाणपत्र की प्रकृति में रिट जारी करने की मांग की है, जिसके अनुसार याचिकाकर्ताओं को हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड, चंडीगढ़ की प्रबंध समिति के सदस्यों/निदेशकों के रूप में हटा दिया गया है।उपरोक्त आदेश को याचिकाकर्ताओं द्वारा हरियाणा के प्रावधानों के विपरीत अवैध बताया गया है। सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (जिसे

इसके बाद 1984 का अधिनियम कहा गया है) भी मणि राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य *(1)* में निर्धारित कानून के विपरीत है।

(3) याचिका अधिसूचना के समर्थन में उठाए गए तर्कों से पहले वर्तमान रिट याचिका दायर करने वाले तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण देना आवश्यक होगा।सभी याचिकाकर्ता हरियाणा के निवासी हैं और हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड (इसके बाद हैफेड के रूप में संदर्भित) की प्रबंध समिति के सदस्य चुने गए थे।सहकारी समितियों के सुचारू संचालन के लिए, पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 (जिसे इसके बाद 1961 का अधिनियम कहा जाता है) के रूप में जाना जाने वाला एक अधिनियम अस्तित्व में आया।पंजाब राज्य के पुनर्गठन के बाद, यह अधिनियम हरियाणा राज्य में भी लागू किया गया था।हालाँकि, 1984 में हरियाणा सरकार ने 1984 का अधिनियम बनाया और इसे हरियाणा राज्य का हिस्सा बनने वाले क्षेत्रों पर लागू किया और पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 और पंजाब सहकारी कृषि विकास अधिनियम, 1957 को निरस्त कर दिया गया।1984 के अधिनियम का अध्याय-II सहकारी समितियों के पंजीकरण से संबंधित है जबकि अध्याय-IV सहकारी समितियों के प्रबंधन से संबंधित है।अधिनियम की धारा 28 चुनाव और चुनाव से संबंधित है।समाज का कार्यकाल और वही इस प्रकार हैः—

"28. समिति का चुनाव और कार्यकालः

(4) सहकारी समिति के सदस्यों का चुनाव निर्धारित तरीके से किया जाएगा और कोई भी व्यक्ति तब तक इस तरह से नहीं चुना जाएगा जब तक कि वह समिति का सदस्य न हो।

(5) एक बार शुरू होने के बाद चुनाव प्रक्रिया को स्थगित नहीं किया जाएगा और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया के पूरा होने के बाद चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर विचार किया जाएगा।

व्याख्याः— चुनाव प्रक्रिया को चुनाव की तारीख तय करने वाले पंजीयक के आदेश की तारीख से शुरू माना जाएगा।

(6) प्रत्येक समिति की समिति अपनी समिति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उप-कानून के अनुसार एक समिति के चुनाव की व्यवस्था करेगी, जिसमें विफल रहने पर पंजीयक ऐसे चुनाव कराने की व्यवस्था करेगा।

(7) समिति जब तक पंजीयक द्वारा पहले नहीं हटाई जाती, तब तक चुनाव की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए पद धारण करेगीः

बशर्ते कि प्राथमिक केंद्रीय और शीर्ष दूध उत्पादक सहकारी समितियों की समिति का कार्यकाल समितियों के उपनियमों में निर्दिष्ट किया जाएगाः

बशर्ते कि यदि पहले से गठित समिति का कार्यकाल -

(a) 3 वर्ष से अधिक नहीं है, यह 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर कार्य करना बंद कर देगा; और

(b) यदि यह 3 वर्ष से अधिक हो गया है, तो यह एच एंड रयान सहकारी समितियाँ (संशोधन) अधिनियम, 1987 के प्रारंभ पर कार्य करना बंद कर देगा।

(4) सहकारी चीनी मिलों के उपनियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, सदस्य, जो मिलों में कर्मचारी हैं, उनकी समिति के सदस्यों के चुनाव के उद्देश्य से एक अलग क्षेत्र का गठन करेंगे।यदि ऐसा कोई सदस्य नहीं चुना गया है, तो समिति के सदस्य ऐसे एक सदस्य को सह-चुनेंगे। यदि ऐसा कोई सदस्य समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित या सह-निर्वाचित नहीं किया जाता है, तो पंजीयक समिति के सदस्य के रूप में ऐसे किसी सदस्य को नामित कर सकता है।

(5) कोई भी व्यक्ति किसी भी समय दो से अधिक प्राथमिक समितियों, एक केंद्रीय समिति और एक शीर्ष समिति की समिति का सदस्य नहीं होगाः

बशर्ते कि इस उप-धारा की कोई बात धारा 29 की उप-धारा (1) के तहत नामित सदस्य या किसी अन्य शीर्ष या केंद्रीय समिति की समिति में सेवा करने के लिए नामित शीर्ष या केंद्रीय समिति के सदस्य को, उनके उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार, लागू नहीं होगी।"

1984 के अधिनियम की धारा 29 जो नामांकन और सहयोग से संबंधित है, इस प्रकार हैः —

"29. समिति में नामांकन और सह-विकल्पः-—

(1) धारा 28 की उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, -

(a) जहाँ सरकार के पास -

(i) किसी सहकारी समिति की शेयर पूंजी की अभिदाता; या

(ii) सोसायटी द्वारा जारी किए गए डिबेंचरों के संबंध में मूलधन और ब्याज की गारंटी; या

(iii) ऋणों और सोसाइटी को अग्रिम के संबंध में मूलधन और ब्याज की गारंटी; या

(iv) ऋणों के साथ समाज की सहायता की और अनुदान दिया,

सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसी समिति की प्रबंध समिति में तीन सदस्यों से अधिक या ऐसी समिति के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई में से जो भी कम हो, नामित करने का अधिकार होगा।

(b) जहाँ औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम या।सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किसी नियोक्ता की किसी अन्य वित्तपोषण संस्था ने किसी सहकारी समिति, औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम या अन्य वित्तपोषण संस्था या नियोक्ता को, जैसा भी मामला हो, वित्त प्रदान किया है, उसे समिति में एक व्यक्ति को नामित करने का अधिकार होगा।

(2) उप-धारा (1) के तहत नामित व्यक्ति उस प्राधिकारी की इच्छा के दौरान पद धारण करेगा जिसने उसे नामित किया था।

(3) जहां किसी मामले के संबंध में सरकार द्वारा नामित किसी सदस्य या धारा 31 के तहत नियुक्त प्रबंध निदेशक और अन्य सदस्यों के बीच मतभेद उत्पन्न होता है, तो उसका मामला सोसायटी द्वारा सरकार को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय उस पर अंतिम होगा और समिति द्वारा लिया गया निर्णय माना जाएगा।

(4) किसी सोसायटी के उपनियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, निर्देश दे सकती है कि ऐसी सोसाइटी या सोसाइटी के वर्ग की समिति पर, जैसा कि सरकार निर्दिष्ट करे, ऐसी सोसाइटी की समिति के सदस्यों द्वारा सह-चयन किया जाएगा, जिसमें कमजोर वर्ग से संबंधित एक तिहाई सदस्य होंगे, जिनमें से कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति से संबंधित होगाः

बशर्ते कि ऐसा सह-विकल्प नहीं दिया जाएगा यदि अनुसूचित जाति सहित कमजोर वर्ग के एक तिहाई सदस्य ऐसी समिति में चुने गए हैं।

बशर्ते कि यदि ऐसा कोई सह-विकल्प नहीं किया जाता है, तो पंजीयक ऐसे सदस्यों को नामित कर सकता है।"

समिति को हटाने से संबंधित धारा 34 इस प्रकार हैः—

"34. समिति को हटाना।—(1) यदि पंजीयक की राय में कोई समिति इस अधिनियम या नियमों या उपनियमों द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों के पालन में लगातार चूक करती है या लापरवाही करती है या कोई ऐसा कार्य करती है जो समाज या उसके सदस्यों के हित के लिए प्रतिकूल है, तो पंजीयक समिति को अपनी आपत्तियां, यदि कोई हों, लिखित आदेश द्वारा बताने का अवसर देने के बाद समिति को हटा सकता है और समिति के नए सिरे से चुनाव का आदेश दे सकता है या धारा 33 के प्रावधानों के अनुसार प्रशासकों की नियुक्ति कर सकता हैः

बशर्ते कि प्रशासकों की नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए होगी जिसे समय-समय पर तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

(2) जहां पंजीयक, उप-धारा (1) के तहत कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ते हुए यह राय रखता है कि कार्यवाही की अवधि के दौरान समिति का निलंबन सहकारी समिति के हित में आवश्यक है, वह समिति को निलंबित कर सकता है और ऐसी व्यवस्था कर सकता है जो वह कार्यवाही पूरी होने तक समिति के मामलों के प्रबंधन के लिए उचित समझेः

बशर्ते कि यदि इस प्रकार निलंबित समिति को नहीं हटाया जाता है, तो इसे बहाल किया जाएगा और निलंबन की अवधि इसके कार्यकाल के लिए गिनी जाएगीः

बशर्ते कि निलंबन की अवधि छह महीने से अधिक नहीं होगी।

(3) उप-धारा (1) के तहत नियुक्त प्रशासक सोसायटी के उपनियमों के अनुसार एक समिति के चुनाव की व्यवस्था करेंगे, जिसमें विफल रहने पर पंजीयक चुनाव कराने की व्यवस्था करेगा।

(4) सहकारी समिति के संबंध में उप-धारा (1) के तहत कोई कार्रवाई करने से पहले, पंजीयक उस वित्त संस्थान से परामर्श करेगा जिसके लिए वह ऋणी है।

(4) याचिकाकर्ताओं का मामला है कि 1984 के अधिनियम की धारा 28 (4) में प्रावधान है कि समिति, जब तक कि पंजीयक द्वारा पहले हटा नहीं दी जाती है, चुनाव की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए पद धारण करेगी।उक्त धारा में संशोधन किया गया था-हरियाणा सरकार राजपत्र में 2 फरवरी, 1995 को प्रकाशित 1995 के हरियाणा अध्यादेश संख्या 3 के माध्यम से, जिसमें प्रबंध समिति का कार्यकाल 1 जनवरी, 1995 से तीन साल से बढ़ाकर पांच साल कर दिया गया था और उक्त अध्यादेश को 1995 के अधिनियम संख्या 6 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।नतीजतन, अधिनियम की धारा 28 में संशोधन किया गया और संशोधित उप-धारा (4) इस

प्रकार है:■—

"समिति चुनाव की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए तब तक पद धारण करेगी जब तक कि पंजीयक द्वारा हटा नहीं दिया जाता है:

बशर्ते कि पहले से गठित समिति का कार्यकाल जनवरी, 1995 के पहले दिन या हरियाणा सहकारी समितियों (संशोधन) अध्यादेश, 1995 की उद्घोषणा तक समाप्त हो गया हो, यह चुनाव की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए जारी रखने की मांग होगी:

बशर्ते कि प्राथमिक केंद्रीय और शीर्ष दुग्ध उत्पादकों की समिति का कार्यकाल।सहकारी समितियाँ ऐसी समितियों के उपनियमों में विनिर्दिष्ट होंगी।"

(5) याचिकाकर्ताओं का यह भी मामला है कि हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड) का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। प्रत्येक जिले में विपणन सहकारी समितियाँ अपने नामांकित व्यक्तियों को हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड) चंडीगढ़ का सदस्य बनने के लिए भेजती हैं।हरियाणा राज्य में 67 विपणन सहकारी समितियाँ हैं जो मूल निकाय यानी हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड के सदस्य हैं। मूल निकाय के 15 निदेशक हैं।इन 15 निदेशकों का चुनाव विपणन और प्रसंस्करण सहकारी समितियों के 67 सदस्यों में से किया जाना है।एक निदेशक को एक क्षेत्र से लिया जाना है। 18 जनवरी, 1994 को हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड की प्रबंध समिति का चुनाव किया गया।याचिकाकर्ताओं और एक राम सिंह (जिनकी बाद में मृत्यु हो गई) और जिला सिरसा से दीप चंद को सदस्य के रूप में चुना गया।राम सिंह की मृत्यु हो गई और उनके स्थान पर जसबिर सिंह याचिकाकर्ता को अक्टूबर, 1995 में सदस्य के रूप में चुना गया।इसी तरह सुरिंदर नेहरा को दीप चंद की जगह चुना गया।1984 के अधिनियम के अपरिवर्तित प्रावधानों के अनुसार, सोसायटी की अवधि तीन साल तक चलने वाली थी और उस मामले में अवधि 17 जनवरी, 1997 को समाप्त हो गई।प्रबंध समिति की निरंतरता के दौरान अधिनियम की धारा 28 को 1995 के अध्यादेश 3 द्वारा संशोधित किया गया था जिसे बाद में 1995 के अधिनियम 6 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और ऊपर उल्लिखित, उप-धारा (4) में संशोधन किया गया था जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि समिति जब तक पंजीयक द्वारा पहले नहीं हटाई जाती है, तब तक चुनाव की तारीख से पांच साल तक पद धारण करेगी।इसलिए, प्रबंध समिति का कार्यकाल 18 जनवरी, 1999 को समाप्त होना था।याचिकाकर्ताओं का यह भी मामला है कि प्रबंध समिति कानूनी और वैध तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी।याचिकाकर्ताओं को कांग्रेस क्यू.) गुट से संबंधित बताया गया है और उनमें से कुछ लोक दल से हैं। यह याचिकाकर्ताओं का मामला है कि प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती। हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड की प्रबंध निदेशक शकुंतला जाखू, आई. ए. एस. ने याचिकाकर्ताओं की राजनीतिक संबद्धता और इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि सत्तारूढ़ सरकार हरियाणा विकास पार्टी की थी और भारतीय जनता पार्टी ने तानाशाही तरीके से काम किया और याचिकाकर्ताओं को प्रबंधन समिति से हटाने का एक तरीका खोजा।उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, याचिकाकर्ताओं को 15 अक्टूबर, 1997 का एक पंजीकृत ए. डी. नोटिस दिया गया था, जिसमें उन्हें सूचित किया गया था कि प्रबंध समिति का कार्यकाल 17 जनवरी, 1997 को समाप्त हो गया है और प्रबंध समिति का अस्तित्व समाप्त हो गया है।आदेश में आगे यह उल्लेख किया गया है कि समिति के गठन के लिए अगले चुनाव होने तक दिन-प्रतिदिन के कामकाज को पूरा करने के लिए प्रशासन बोर्ड की नियुक्ति की जाती है।यह भी उल्लेख किया गया है कि ज्ञान चंद कालरा बनाम हरियाणा राज्य *(2)* मामले में 20 अगस्त, 1996 के फैसले के अनुसार समिति का कार्यकाल इस बात पर निर्भर करेगा कि चुनाव कब हुआ था।यह वह आदेश है जिसे, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वर्तमान याचिका में चुनौती दी गई है और इसे 1984 के अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ बताया गया है।

(6) याचिकाकर्ताओं वीहेम ने तर्क दिया कि प्रतिवादी नं। 2 15 अक्टूबर, 1997

को आदेश पारित करते समय जानबूझकर और जानबूझकर ज्ञान चंद कालरा बनाम हरियाणा राज्य (ऊपर) मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया था जो वर्तमान मामले के तथ्यों पर भी दूर से लागू नहीं था।इस मामले में विवाद हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव के आयोजन को लेकर था। धारा 18 को 1995 के अधिनियम 9 द्वारा संशोधित किया गया था।धारा 18 (3) में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया था कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा जबकि पहले उपराष्ट्रपति का कार्यकाल एक वर्ष का होता था।1995 के अधिनियम 9 द्वारा संशोधित हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत परामर्शदाताओं के पद की अवधि के संबंध में कोई विवाद नहीं है।उस संदर्भ में इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया था कि नगरपालिका पार्षदों के चुनाव के अनुसार, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल एक वर्ष था ताकि अन्य पार्षद भी भाग ले सकें और नगरपालिका समिति के उपाध्यक्ष का पद संभाल सकें।
अधिनियम का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि तब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल एक वर्ष का होगा न कि पांच वर्ष का, जैसा कि 1995 के अधिनियम 9 के अनुसार धारा 18 (3) में प्रावधान किया गया है।याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील द्वारा आगे यह तर्क दिया जा रहा है कि इस अधिनियम के प्रावधान किसी भी तर्क से उन समितियों पर लागू नहीं हो सकते हैं जो 1984 के अधिनियम द्वारा शासित थीं।तब यह तर्क दिया जाता है कि अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (4) में लाए गए संशोधन के आधार पर, जब तक समिति को हटा नहीं दिया जाता है, वह चुनाव की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए पद पर रहेगी, बशर्ते कि पहले से गठित समिति का कार्यकाल 1 जनवरी, 1995 को समाप्त हो गया हो या हरियाणा सहकारी समितियों (संशोधन) अध्यादेश 1995 की घोषणा होने तक, चुनाव की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए माना जाएगा।1984 के अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (4) में संशोधन उस अवधि के दौरान अस्तित्व में आया जब तीन साल की मूल अवधि समाप्त नहीं हुई थी और इसलिए, याचिकाकर्ताओं का कार्यकाल उनके चुने जाने की तारीख से पांच साल तक जारी रहना था।

(7) इस अदालत द्वारा जारी अधिसूचना 1 के अनुसार, 3 प्रत्यर्थियों ने बचाव में प्रवेश किया और लिखित बयानों को कम करके याचिकाकर्ताओं के दावे का विरोध किया। प्रतिवादीगण 1 और 2 की ओर से प्रारंभिक आपत्तियों के माध्यम से यह अनुरोध किया गया है कि याचिकाकर्ताओं को 18 जनवरी, 1994 को एच. ए. एफ. ई. डी. के निदेशक मंडल के लिए चुना गया था, यानी 2 फरवरी, 1995 को हरियाणा सहकारी समिति संशोधन अध्यादेश 1995 की घोषणा के लिए और तदनुसार उनका चुनाव तीन साल की अवधि के लिए था।—1995 के हरियाणा अध्यादेश संख्या 3 के माध्यम से (बाद में 1995 के हरियाणा अधिनियम संख्या 6 द्वारा प्रतिस्थापित) अधिनियम 1984 की धारा 28 (4) में संशोधन किया गया और तीन साल के स्थान पर पांच साल की अवधि को प्रतिस्थापित किया गया।उक्त संशोधन को पहले परंतुक के आधार पर पूर्वव्यापी बनाने की मांग की गई थी, जिसमें यह विचार किया गया था कि समितियों का कार्यकाल भले ही पहले ही 1 जनवरी, 1995 को समाप्त हो गया हो या 1995 का अध्यादेश संख्या 3 (बाद में 1995 के हरियाणा अधिनियम संख्या 6 द्वारा प्रतिस्थापित) की घोषणा तक उनके चुनाव की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए जारी माना जाएगा।तीन साल के पहले से मौजूद कार्यकाल के स्थान पर पांच साल के कार्यकाल के लिए पूर्वव्यापीता पर विचार करने वाले उपरोक्त परंतुक पर इस अदालत में सवाल उठाया गया था और मणि राम बनाम हरियाणा राज्य (3) में दर्ज किए गए फैसले के अनुसार, इस अदालत की एक खंड पीठ ने माना था कि परंतुक द्वारा विचार की गई पूर्वव्यापीता असंवैधानिक थी। प्रतिवादीगण ने याचिकाकर्ता के कारण का विरोध करने में ज्ञान चंद कालरा बनाम हरियाणा राज्य (ऊपर) मामले में इस अदालत के एक खंड पीठ के फैसले पर भी भरोसा किया।जहाँ तक इस मामले के न्यूनतम तथ्यों का संबंध है, उनसे इनकार नहीं किया गया है।

(8) पक्षकारों के अभिवचनों के संदर्भ में, इस मामले में एकमात्र प्रश्न जिसे निर्धारित

करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या 1984 के अधिनियम की धारा 28 (4) में लाया गया संशोधन याचिकाकर्ताओं के पद का प्रारंभिक कार्यकाल तीन साल से बढ़ाकर पांच साल कर देगा और यह भी कि प्रतिवादीगण द्वारा दिए गए निर्णय पर कितना भरोसा किया गया है और यह उल्लेख किया गया है कि विवादित आदेश में ही किस बारे में भी उल्लेख किया गया है, अर्थात ज्ञान चंद कालरा बनाम हरियाणा राज्य (उपर्युक्त), मामले के तथ्यों पर लागू होता है।

(9) इससे पहले कि हम इस मामले में आगे बढ़ें, यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि सहकारी समितियों के पंजीयक, हरियाणा द्वारा आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी-6 को पारित किया गया है।यह आदेश ज्ञान चंद कालरा बनाम हरियाणा राज्य (ऊपर) मामले में इस न्यायालय के फैसले से अपना बल प्राप्त करता है, जिसमें विशेष रूप से कहा गया है कि समिति का कार्यकाल इस बात पर निर्भर करेगा कि ज्ञान चंद, कालरा बनाम हरियाणा राज्य (ऊपर) मामले के फैसले को देखते हुए चुनाव कब हुआ था।यह भी उल्लेख किया गया कि समिति का कार्यकाल 17 जनवरी, 1997 को समाप्त हो गया था।आम तौर पर सरकार या सरकार का मनोनीत व्यक्ति 1984 के अधिनियम की धारा 28 में कार्यकाल को पांच से घटाकर तीन साल करने के लिए लाए गए संशोधन की व्याख्या नहीं कर सकता था क्योंकि यह स्वयं सरकार द्वारा धारा 28 की उप-धारा (4) में संशोधन को रद्द करने के बराबर होगा जिसने बदले में उपरोक्त प्रावधान में संशोधन किया था।दूसरे शब्दों में, सरकार अपने द्वारा बनाए गए प्रावधानों या प्रावधानों की अवैधता का अनुरोध नहीं कर सकती थी और इस प्रकार, अनुलग्नक पी-6 जैसे आदेश को सरकार या उसके नामित व्यक्ति द्वारा पारित नहीं किया जा सकता था।तथापि, यदि आदेश ज्ञान चंद कालरा बनाम हरियाणा राज्य *(उपर्युक्त)* के निर्णय पर पारित किया गया, जैसा कि प्रतीत होता है, तो यह केवल न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के पालन में है और इसलिए आदेश अनुलग्नक पी-6 पारित किया जा सकता है।केवल इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना बाकी है कि क्या इस न्यायालय द्वारा ज्ञान चंद कालरा बनाम हरियाणा राज्य (ऊपर) में निर्धारित कानून या मणि राम बनाम हरियाणा राज्य (ऊपर) में बहस के दौरान जिस पर भरोसा किया गया था, वह इस मामले के तथ्यों पर लागू होता है।हम इस स्तर पर यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि यह दिखाने के लिए कोई तर्क नहीं दिया गया है कि विवादित आदेश किसी भी बाहरी विचार के कारण पारित किया गया है जैसा कि रिट याचिका में अनुरोध किया गया है।याचिकाकर्ताओं की ओर से केवल इतना ही कहा गया है कि पंजीयक ने स्पष्ट रूप से व्याख्या करने में गलती की और इस प्रकार इस न्यायालय के फैसले को कियान चंद कालरा बनाम हरियाणा राज्य (ऊपर) में लागू करते हुए विवादित आदेश अनुबंध पी-6 पारित किया।विद्वान वकील के तर्क का संदर्भ में मूल्यांकन करने का अब समय आ गया है।

ज्ञान चंद कालरा बनाम हरियाणा राज्य (उपर्युक्त) मामले में इस न्यायालय के निर्णय का।ज्ञान चंद, कालरा बनाम हरियाणा राज्य (उपर्युक्त) में आदेशों में परिणत होने वाली रिट याचिका दायर करने को जन्म देने वाले तथ्यों को निकालना उपयोगी होगा।उक्त मामले में याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादीगण को हरियाणा नगर निगम अधिनियम की असंशोधित धारा 18 (3) के अनुसार नगर समिति, शाहबाद के उपाध्यक्ष के पद के लिए चुनाव कराने का निर्देश देते हुए आदेश की प्रकृति में एक रिट जारी करने की मांग की और प्रतिवादी संख्या 4 के खिलाफ यथास्थिति वारंट की प्रकृति में एक रिट जारी करने की मांग की, क्योंकि वह 16 फरवरी, 1996 से नगर समिति, शाहबाद की उपाध्यक्ष नहीं रह गई थी, इसलिए उसे उक्त कार्यालय से हटा दिया जाना चाहिए।उक्त नगरपालिका समिति के चुनाव दिसंबर में हुए थे।1994.17 फरवरी, 1995 को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ।सुरिंदर शर्मा अध्यक्ष चुने गए जबकि श्रीमती. नीलम साहनी को नगर समिति, शाहबाद का उपाध्यक्ष चुना गया।खंड के तहत।18 (3) अधिनियम के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल एक वर्ष का था।तत्पश्चात, 1995 के

अधिनियम सं. 9 (हरियाणा नगरपालिका संशोधन) अधिनियम, 1995 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित किया गया था।याचिकाकर्ता के अनुसार, संशोधित प्रावधान का केवल एक संभावित प्रभाव हो सकता है और चूंकि प्रतिवादी संख्या 4 को एक वर्ष की अवधि के लिए उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, जो पहले ही 16 फरवरी, 1996 को समाप्त हो चुका था, इसलिए उन्हें पद धारण करने का कोई अधिकार नहीं था और उपाध्यक्ष के पद के लिए नए सिरे से चुनाव कराना नगरपालिका समिति का दायित्व था।याचिकाकर्ता के दावे को उक्त मामले में प्रतिवादीगण द्वारा चुनौती दी गई थी और यह अनुरोध किया गया था कि विकास और अन्य गतिविधियों के संबंध में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल अब एक वर्ष के बजाय पांच वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था और 17 अप्रैल, 1995 की अधिसूचना इसके प्रकाशन की तारीख से यानी उसी दिन से प्रभावी थी।यह भी अनुरोध किया गया कि किया गया संशोधन न केवल नवगठित समितियों पर लागू होगा, बल्कि मौजूदा नगरपालिका समितियों पर भी लागू होगा।पक्षकारों की दलीलों पर, खंड पीठ द्वारा जो एकमात्र प्रश्न तैयार किया गया था, वह यह था कि 17 अप्रैल, 1995 की अधिसूचना के माध्यम से किए गए संशोधन का क्या प्रभाव पड़ा और क्या यह इसके संचालन में संभावित या पूर्वव्यापी था।धारा 18 की उप-धारा (3), जिसका संशोधन किया गया था, इस प्रकार है:

> "उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष की अवधि के लिए या सदस्य के रूप में उनके पद की शेष अवधि के लिए, जो भी कम हो, होगा।"

(10) इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि चूंकि यह उल्लेख नहीं किया गया था कि संशोधन पूर्वव्यापी प्रकृति का होगा, इसलिए आवश्यक रूप से इसे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में संभावित के रूप में लिया जाना था।प्रत्यर्थी संख्या 4 का कार्यकाल 16 फरवरी, 1996 को समाप्त हो गया था और इस प्रकार शेष अवधि के लिए उपाध्यक्ष के पद का चुनाव कराने के लिए नगरपालिका समिति को उचित निर्देश दिए जाने की आवश्यकता थी।मामले से निपटने वाली खंड पीठ ने फैसला सुनाया।"संशोधन अधिनियम में कहीं भी विशेष रूप से यह नहीं कहा गया है कि यह अपने संचालन में पूर्वव्यापी है।अन्यथा भी, यह संशोधन उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल एक वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष कर देता है, जिससे नगरपालिका समिति के सदस्यों के किसी और को उपराष्ट्रपति के रूप में चुनने के अधिकार छीन लिए जाते हैं।इस प्रकार, इस तरह के प्रावधान को संचालन में पूर्वव्यापी नहीं माना जा सकता है।" डिवीजन बेंच द्वारा संशोधन के संभावित या पूर्वव्यापी होने के संबंध में तैयार किए गए प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से यह था कि वही संभावित था।इसमें कोई संदेह नहीं है कि संयोग से यह भी माना गया था कि इस तरह के प्रावधान को पूर्वव्यापी नहीं माना जा सकता है।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, डिवीजन बेंच द्वारा तय किया जाने वाला एकमात्र सवाल यह था कि क्या संशोधन संभावित था या पूर्वव्यापी था और इसलिए, तैयार किए गए प्रश्न के अलावा कुछ भी कहा गया था और जिस पर दोनों पक्षों द्वारा किसी भी तर्क को संबोधित नहीं किया गया था, उसे आज्ञाकारी आदेश के रूप में लिया जाना चाहिए।हमारे विचार में, ज्ञान चंद कालरा बनाम हरियाणा राज्य के निर्णय को आदेश संरेखण पी-6 को पारित करते समय या वर्तमान मामले का बचाव करते हुए सेवा में नहीं डाला जा सकता था, जितना कि धारा 28 (4) में लाया गया संशोधन प्रकृति में पूर्वव्यापी है, इसलिए विशेष रूप से संशोधित प्रावधान के पठन से लिखा गया है और यह सटीक कारण था कि हरियाणा के विद्वान महाधिवक्ता श्री हुड्डा ने अपने तर्क को सीधे उसी संशोधन से संबंधित एक में स्थानांतरित कर दिया, जिस पर वर्तमान मामले में सवाल उठाया गया है और जिस पर मणि राम बनाम हरियाणा राज्य (उपरोक्त) में इस न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा

चर्चा की गई थी।एक बार फिर उपरोक्त मामले को जन्म देने वाले तथ्यों को निकालना उचित होगा। 1992 में हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के अनुसार प्रबंध समिति के चुनाव हुए थे।प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का था।यह जनवरी, 1995 में समाप्त होने वाला था।प्रबंध समिति का चुनाव कार्यक्रम दिसंबर, 1994 के महीने में प्रकाशित किया गया था।उक्त मामले में याचिकाकर्ताओं ने चुनाव लड़ा

जिसे 7 जनवरी, 1995 के लिए सूचीबद्ध किया गया था और निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचित घोषित किया गया था।प्रबंध समिति के गठन के बाद 15 फरवरी, 1995 को एक बैठक हुई, जिसके बाद 16 मई को एक और बैठक हुई। 1995 में।23 मई, 1995 को याचिकाकर्ताओं को सहायक पंजीयक सहकारी समितियों द्वारा जारी एक पत्र के साथ सूचित किया गया था कि पूर्व प्रबंध समिति का कार्यकाल 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया था और वर्तमान प्रबंधन समिति का अस्तित्व समाप्त हो गया था।यह हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम की धारा 28 में संशोधन और 2 फरवरी, 1995 को जारी किए गए पहले के अध्यादेश के अनुसार लिखा गया था।जिन लोगों को दिसंबर, 1994 के महीने में प्रकाशित चुनाव कार्यक्रम के अनुसरण में चुना गया था, उन्होंने आदेश को चुनौती दी, जिसके अनुसार उन्हें पद छोड़ने के लिए कहा गया था, जबकि पहले की प्रबंध समिति को और दो साल तक जारी रखने की अनुमति दी गई थी।संशोधन की प्रकृति के पूर्वव्यापी या संभावित होने के संबंध में कोई विवाद नहीं था।यह हर तरह से स्वीकार किया गया कि संशोधन पूर्वव्यापी प्रकृति का था।उक्त मामले में केवल एक ही सवाल उठाया गया था कि क्या पिछली प्रबंध समिति के कार्यकाल के बाद याचिकाकर्ताओं को प्राप्त निहित अधिकार समाप्त हो गए थे और वे चुने गए थे, उन्हें पूर्वव्यापी संशोधन द्वारा छीन लिया जा सकता है।माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर चर्चा करने के बाद, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पूर्ववर्ती गैर-मौजूद समितियों को जीवनदान दिया गया था।समिति का कार्यकाल जनवरी, 1995 में समाप्त हो गया था और तब से एक नई समिति का गठन किया गया था।जबकि गैर-मौजूदा समितियों को जीवन में लाया गया था, इस परंतुक द्वारा मौजूदा समितियों को अस्तित्व में नहीं होना था।यह संविधान के अनुच्छेद 19 (4) की भावना नहीं है क्योंकि यह भारत की संप्रभुता और अंतर-एकता या सार्वजनिक व्यवस्था के हित से संबंधित नहीं है।इसे एक उचित प्रतिबंध नहीं कहा जा सकता है।एसोसिएशन का गठन किया गया है और कानून के अनुसार, यह चुनाव होने के बाद अस्तित्व में आया है।संशोधन ने संगठन को जारी रखने के अधिकार में हस्तक्षेप किया।उक्त संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (सी) के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकार के खिलाफ होगा।यह विवाद से परे है कि डिवीजन बेंच ने कहा कि 1984 के अधिनियम की धारा 28 (4) में लाए गए पूर्वव्यापी संशोधन द्वारा निहित अधिकारों को नहीं हटाया जा सकता है।

(11) कुछ मामलों में इससे पहले तीन साल की अवधि तब समाप्त नहीं हुई थी जब अध्यादेश या अधिनियम दोनों में से कोई भी समाप्त नहीं हुआ था। 1984 के अधिनियम की धारा 28 (4) में संशोधन किया गया।हमारे साथ निपटाए जा रहे मामले के तथ्यों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि तीन साल की अवधि तब समाप्त नहीं हुई थी जब धारा 28 (4) में संशोधन किया गया था।स्वाभाविक रूप से किसी भी चुनाव द्वारा याचिकाकर्ताओं की जगह लेने के लिए कोई और नहीं आया।फिर जिस प्रश्न का निर्धारण करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या मणि राम बनाम हरियाणा राज्य (उपरोक्त) मामले में खंड पीठ का निर्णय उस मामले में लागू होगा जहां प्रबंध समिति का कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ था और जब धारा 28 (4) में संशोधन लाया गया था और जब स्वाभाविक रूप से याचिकाकर्ताओं को बदलने के लिए कोई नहीं आया था।हमारा दृढ़ मत है कि

किसी के निहित अधिकार में शामिल या उल्लंघन नहीं किया गया था।श्री हुड्डा, हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान महाधिवक्ता, हालांकि, मणि राम बनाम हरियाणा राज्य मामले में इस न्यायालय के फैसले पर दृढ़ता से भरोसा करते हैं, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था, "इन कारणों से, हम याचिका को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (4) के पहले परंतुक सहित अध्यादेश की तारीख 1 जनवरी, 1995 से पूर्वव्यापी प्रभाव देने वाले अधिनियम में संशोधन अवैध है और संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ पठित अनुच्छेद 19 (1) (सी) का उल्लंघन है और याचिकाकर्ताओं को कानून के तहत निर्धारित अपना कार्यकाल पूरा करने का अधिकार है।" उनका तर्क है कि खंड पीठ ने हरियाणा सहकारी समिति की धारा 28 की उप-धारा (4) के लिए पहला परंतुक घोषित किया।हालाँकि, हम विद्वान महाधिवक्ता द्वारा की गई उपरोक्त प्रस्तुति में कोई सार नहीं पाते हैं।हरियाणा।मामले के अनुपात का पता लगाने के लिए वास्तव में उस प्रश्न में जाना होगा जिसका उत्तर दिया गया था, उक्त बिंदु पर की गई प्रस्तुतियाँ और न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष।मणि राम बनाम हरियाणा राज्य (उपरोक्त) के फैसले को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जिस सवाल पर बहस हुई वह यह था कि क्या पूर्वव्यापी संशोधन द्वारा किसी नागरिक के निहित अधिकार को छीन लिया जा सकता है या नहीं। उपरोक्त प्रश्न पर मामले से निपटने वाली खंड पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिएः—

> "बिना किसी विवाद के उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि निहित अधिकार विधानमंडल द्वारा लिए जा सकते हैं।जब विधानमंडल ने प्रबंध समिति की अवधि को 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दिया, तो केवल कुछ निहित अधिकारों को ही अच्छी तरह से लिया जा सकता था।कोई मौजूदा अधिकार नहीं लिया जा सकता था।"

डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में निर्णय के परिचालन भाग को पढ़ना होगा।ऐसा होने पर, हरियाणा के महाधिवक्ता द्वारा दिए गए निर्णय के जिस हिस्से पर भरोसा किया गया है, उसे उसी की व्याख्या करके पढ़ना होगा जिसका अर्थ है कि पहले 1984 के अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (4) का परंतुक ऐसी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 19 और 14 का उल्लंघन करेगा जब इसने किसी नागरिक के मौजूदा अधिकार को छीन लिया हो।इस स्तर पर यह याद किया जा सकता है कि मणि राम बनाम हरियाणा राज्य *(उपरोक्त)* मामले में न केवल पहले के प्रबंधन का कार्यकाल समाप्त हो गया था, बल्कि उस उद्देश्य के लिए हुए चुनावों के अनुसार एक नई प्रबंधन समिति का भी गठन किया गया था।मौजूदा अधिकार अस्तित्व में आ गए थे और उन्हें 1984 के अधिनियम की धारा 28 (4) में किए गए पूर्वव्यापी संशोधन द्वारा छीन लिया गया था।यह अब तक कानून का एक सिद्धांत बहुत अच्छी तरह से तय हो गया है कि विधानमंडल संभावित रूप से और पूर्वव्यापी रूप से भी संशोधन कर सकता है।आम तौर पर, संशोधन संभावित प्रकृति का होता है।हालाँकि, यह पूर्वव्यापी हो सकता है यदि संशोधन अधिनियम में निहित भाषा विशेष रूप से ऐसा कहती है या अन्यथा आवश्यक इरादे से इसका अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करते समय, मौजूदा निहित अधिकार को छीन नहीं लिया जा सकता है।हमारा स्पष्ट मत है कि वर्तमान मामले में किसी का भी ऐसा कोई अधिकार नहीं था जिसका उल्लंघन किया गया हो, और न ही यह ऐसा मामला था जिसमें किसी मृत व्यक्ति में जीवन डाला गया हो।हमने ऊपर जो कहा है वह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि मणि राम बनाम हरियाणा राज्य (उपरोक्त) का निर्णय करने वाली पीठ ने उन्हीं प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें *1997* के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 3070 (अजमेर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) में किसी को कोई निहित अधिकार अर्जित नहीं हुआ था।उपरोक्त याचिका में पारित आदेश इस प्रकार हैः—

> "प्रारंभिक आपत्ति संख्या 2 और प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से दायर लिखित बयान के पैरा संख्या 6 और 8 में लिए गए रुख को देखते हुए खारिज कर दिया गया।"

(12) डिवीजन बेंच ने 12 अक्टूबर, *1995* को मणि राम के मामले (उपरोक्त) का फैसला किया, जबकि सिविल रिट याचिका 3070 का फैसला 27 अगस्त, 1997 को किया गया था।निश्चित रूप से वही पीठ जिसने 1997 के सी. डब्ल्यू. पी. 3070 का निर्णय दिया था, वह मणि राम के मामले (उपरोक्त) में पहले दिए गए अपने निर्णय और इन दोनों मामलों के तथ्यों के बीच के अंतर से अवगत थी।यदि कोई प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से दायर लिखित बयान को देखता है, जिसका उल्लेख 27 अगस्त, 1997 के आदेश में किया गया है, तो यह स्पष्ट होगा कि उपरोक्त निर्णय से पहले उसी पीठ ने धारा 28 (4) के संशोधित प्रावधानों के अधिकार को बरकरार रखते हुए कुछ रिट याचिकाओं का फैसला किया था।

(13) ऊपर जो कहा गया है उसे ध्यान में रखते हुए, हम याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों में काफी योग्यता पाते हैं और इसलिए, 15 अक्टूबर, 1997 के आदेश अनुलग्नक पी-6 को रद्द करके इस याचिका की अनुमति देते हैं।

(14) वे सभी याचिकाएँ जिनमें समिति का तीन साल का कार्यकाल 2 फरवरी, 1995 को या उसके बाद समाप्त नहीं हुआ था, इस प्रकार स्वीकृत होंगी।तथापि, जिन रिट याचिकाओं में कार्यकाल या तीन वर्ष 1 फरवरी, 1995 को या उससे पहले समाप्त हो गए थे, उक्त याचिकाएं खारिज हो जाएंगी।

एस. के.

अस्वीकरण : *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वियन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।*

डा० सुशीला
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रोहतक,हरियाणा